राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1345/2024

महेश कुमार भंवरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख), जयपुर।
4. श्री राजेन्द्र प्रसाद भू–अभिलेख कलेक्ट्रेट, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.03.2024

आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निजी प्रत्यर्थी सं. 4 की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर मोरिजा तहसील चौमू में यथावत कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर मोरीजा, चौमू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के

आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला जयपुर से दर्शाते हुये भू अभिलेख निरीक्षक वृत आगर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी को जिला जयपुर पदस्थापन होना दर्शाया गया है परंतु वर्तमान पदस्थापित स्थान का अंकन नहीं किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में मौरीजा तहसील चौमू में कार्य कर रहा है उसका स्थानान्तरण जिला जयपुर दर्शाते हुए भू अभिलेख निरीक्षक वृत आगर तहसील प्रतापगढ़ जिला अलवर किया गया है जबकि अपीलार्थी जिला जयपुर में कार्यरत न होकर दूसरा जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान गलत दर्शाया गया है जिस कारण आलौच्य आदेश अनुचित व अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने नरेश कोली बनाम राज्य में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि यदि किसी कर्मचारी का गलत स्थान पर पदस्थापन दर्शाते हुये स्थानान्तरण आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया जाना अनुचित आदेश माना गया है साथ ही यह माना गया है कि ऐसे आदेश की क्रियान्वति किया जाना संभव नहीं है इसी आधार पर माननीय उच्च न्यायालय व माननीय अधिकरण ने स्थगन आदेश जारी किये है (अनुलग्नक–4)। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2024 (अनुलग्नक–1ए) के द्वारा अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 राजेन्द्र प्रसाद का स्थानान्तरण कर दिया गया। उक्त स्थानान्तरण आदेश केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से किया गया है अन्यथा ऐसा कोई कारण उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाता। आदेश दिनांक 14.03.2024 में दिनांक 22.02.2024 व 10.03.2024 के आदेश का हवाला दिया गया है जबकि उक्त दोनों आदेशों में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का कहीं नाम अंकित नहीं था और अब जिला कलक्टर जयपुर ने अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन किया है जो अनुचित व अवैध होने के कारण निरस्तनीय है। उनका यह भी कथन है कि आदेश दिनांक 14.03.2024 के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया है बल्कि कार्यभार लिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी वर्तमान में उसी कार्यालय में कार्यरत है। परंतु उक्त विधि एवं नियमों के विरूद्ध जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो अनुचित व अवैध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और

अपीलार्थी को भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर मोरिजा तहसील चौमू में यथावत कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी वृत मोरिजा तहसील चौमू जिला जयपुर में कार्य कर रहा है और जिला जयपुर दर्शाते हुये ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो सही एवं उचित है। उसका स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 14.03.2024 के द्वारा नहीं किया गया है। उसका स्थानान्तरण दिनांक 22.02.2024 के द्वारा किया गया है और उसे मोरिजा चौमू जयपुर से ही कार्यमुक्त किया गया है। दिनांक 21.03.2024 को अपीलार्थी से कार्यभार ले लिया गया है। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश की पूर्ण रूप से पालना की जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर मोरीजा, चौमू में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण जिला जयपुर से दर्शाते हुये भू अभिलेख निरीक्षक वृत आगर तहसील प्रतापगढ जिला अलवर किया गया है। उक्त स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी को जिला जयपुर पदस्थापन होना दर्शाया गया है परंतु वर्तमान पदस्थापित स्थान का अंकन नहीं किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान में मोरीजा तहसील चौमू में कार्य कर रहा है उसका स्थानान्तरण जिला जयपुर दर्शाते हुए भू अभिलेख निरीक्षक वृत आगर तहसील प्रतापगढ़ जिला अलवर किया गया है जबकि अपीलार्थी जिला जयपुर में कार्यरत न होकर दूसरा जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है। जहां तक आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन स्थान को गलत दर्शाते हुये स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, स्थानान्तरण आलोच्य आदेश के अवलोकन

से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 272 पर अंकित है, जिसमें जिला जयपुर से दर्शाते हुये भू–अभिलेख निरीक्षक वृत आगर तहसील प्रतापगढ़ जिला अलवर स्थानान्तरण किया गया है, परंतु आदेश दिनांक 09.10.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मोरीजा तहसील चौमू हाल जिला जयपुर ग्रामीण में कार्यरत है जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का स्थानान्तरण जयपुर जिला दर्शाते हुये किया गया है जो वर्तमान में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.08.2023 के अनुसार जयपुर ग्रामीण एवं जयपुर को अलग–अलग जिला बनाया गया है और अलग–अलग जिला बनाने के उपरांत भी अपीलार्थी का स्थानान्तरण गलत जयपुर जिला दर्शाते हुये किया गया है जबकि अपीलार्थी जिला जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का पदस्थापन स्थान का भी अंकन नहीं किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 7277/2006 श्रीमती नरेश कोली बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.11.2006 में गलत पद या पदस्थापन स्थान दर्शाने के संबंध में निम्नलिखित विनिश्चय प्रतिपादित करते हुये याचिका स्वीकार की है :–

> *"The learned counsel for the petitioner in rebuttal has submitted that the transfer order has been passed by the Commissioner without application of mind which is apparent and discernible from the impugned transfer order that the petitioner was working not at a place shown in the order. The petitioner at present is working at Titori and she had been shown to have been working at Khora Rajpura which is factually incorrect. The order is not implementable as the petitioner is not working at Nagaur from where she has been shifted. The Divisional Commissioner may be competent to transfer the petitioner and once the transfer order is issued by the Divisional Commissioner, it can not be cancelled by any authority except prescribed by the Govt. The Additional Commissioner was not having the jurisdiction to cancel or modify the transfer order of the petitioner. Respondents have noticed it and have tried to correct it in accordance with law but while doing so the respondents have not taken care to find out as to whether the order passed is implementable. The respondents have not even tried to find out as to whether the petitioner is working in terms of the original order dated 16.12.02. The order on the face of it exhibits non-application of mind and is not implementable.*
>
> *For the reasons stated above, the petition is allowed. The order dated 22.7.2006 is quashed and set aside. The respondents are at liberty to pass fresh order in accordance with law, if required."*

उपरोक्तानुसार अपीलार्थी के संबंध में जारी किया गया स्थानान्तरण आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया गया है, जो उक्त न्यायिक विनिश्चय एवं नियमों के विरूद्ध है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है एवं आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है। अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे जहां पर चुनौती आदेश जारी करने से पूर्व कार्यरत था।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य